न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 374/2021
दायर दिनांक :– 26.07.2021

अनवान

1. घीसालाल पिता मोहन भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
2. देवालाल पिता मोहन भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
3. सीता बेवा मोहन भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण..............

बनाम

1. गोपाल लाल पिता नाथूलाल भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
2. मुनीराम पिता सूरजकरण भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
3. महावीर पिता राधेश्याम ब्राहमण नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
4. घीसी पुत्री राधेश्याम ब्राहमण नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
5. पूजा पिता राधेश्याम ब्राहमण नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
6. कान्ता पत्नि राधेश्याम ब्राहमण नि. पण्डेर तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
8. रामी देवी पत्नि बालमुकुन्द भाट नि. पण्डेर तह. जहाजपुर

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 25.07.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 5636/1 रकबा 02.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि स्थित हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 5636/1 में आये दिन मौके पर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही हैं तथा समयानुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी भूमिया की मेड पर से उपलब्ध करवाये जाने मार्ग अथवा परम्परानुसार आधार मेड पर होकर अपने खेत तक आते जाते रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि आराजी सं. 5636/1 में पिछले 20 वर्षो से ग्राम पण्डेर के दशहरा मैदान के पास से मालियो के तालाब तक जाने वाले ग्रामीण मार्ग से लगता हुई भुमि आराजी सं. 5635 के मध्य से होकर उत्तर पूर्व की और मेड

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

पर से होते हुये अपनी खातेदारी मे पहुँच कर काश्त करता रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा है जिसमे रास्ता को लाल चिन्हो से दर्शित किया गया है। विपक्षी ने आज से करीबन 3 माह पूर्व प्रार्थीगण को मेड से निकालने से मना कर दिया तथा रास्तो को अवरूद्व कर देने का प्रयास किया फिर भी प्रार्थीगण ने हाथा जोडी कर बमुशिकल से अपने खेतो तक ट्रेक्टर ले जाकर हकाई कर काश्त की परन्तु फिर भी विपक्षीगण ने धमकी दी कि हम यहॉ से नही निकालने देगे विपक्षी के कहने से अन्य विपक्षी ने भी मना करना प्रारम्भ कर दिया इस कारण प्रार्थीगण विधि अनुसार अपने खेत पर आने जाने के लिये फसल लाने ले जाने हकाई आदि के लिये 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं एव ना ही खेत तक पहुँचने का रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। विपक्षी प्रार्थीगण के खेत पर आने से कभी भी रोक सकते हैं तथा मार्ग बाधित कर सकते हैं यदि ऐसा कर देते है तो प्रार्थी के समक्ष खेत पर आने जाने एवं फसल काश्त करना असम्भव हो जावेगा। साथ ही प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है। इस कारण अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में जिसे चरण सं. 3 में वर्णित किया हैं राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार दिलवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया रास्ता सभी के लिये उपलब्ध रहेगा तथा प्रार्थीगण कभी भी उस पर अपना अधिकार नही जतायेगे। माह जनवरी में विपक्षीगण द्वारा अपने आने जाने में आपत्ति किये जाने से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 से 3 में वर्णित रास्ता जिसे नजरी नक्शा मे दर्शित किया हैं को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में तरमीम व दर्ज किये जाने का आदेश हक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण सादर पारित उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 5636/1 रकबा 02.01 बीघा में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकवा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 25.04.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 5635 में से रास्ता देने पर 0.03 बीघा भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण की जोत आ.न. 5636/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 5635 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 5636/1 में आने जाने हेतु ख. न. 5635 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 5636/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थीगण की आ.न. 5636/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 5635 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 5636/1 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 5636/1 में आने जाने के लिये आ. न. 5635 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 5635 में से रास्ता देने पर कुल 0.03 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 5635 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.03 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 50240 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण (आ. न. 5635 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 22 / मु.न. 374 / 2021 दिनांक 25.07.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— प्र. सं. 374 / 21 अनवान धीसालाल पिता मोहन भाट, देवालाल पिता मोहन भाट, सीता बेवा मोहन भाट नि. पण्डेर बनाम गोपाल लाल पिता नाथूलाल भाट, मुनीराम पिता सूरजकरण भाट, महावीर पिता राधेश्याम ब्राहमण, धीसी पुत्री राधेश्याम ब्राहमण, पूजा पिता राधेश्याम ब्राहमण, कान्ता पत्नि राधेश्याम ब्राहमण, रामी देवी पत्नि बालमुकुन्द भाट नि. पण्डेर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

——————

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 5636 / 1 में आने जाने के लिये आ. न. 5635 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 5635 में से रास्ता देने पर कुल 0.03 बीघा भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 5635 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.03 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 50240 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण (आ. न. 5635 के खातेदार) को जमा / अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner